कार्यालय अंचल अधिकारी, लातेहार

अनुसूचि 14 फारम 5621

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक–सं0......................................से.......................................तक

जिला–लातेहार..............................सं0............./2021–22..............सन...............

केस का प्रकार :– नामांतरण वाद सं० 134, 135/25-26 की सुनवाई

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	यह वाद नामांतरण वाद सं० 134,135/25-26 में प्राप्त नामांतरण के विरुद्ध आपत्ति के आलोक में प्रारंभ की जाती है। आपत्ति का सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 29.8.25 को रखें। अंचल अधिकारी लातेहार।	
29.8.25	आपत्तिकर्ता प्रथम पक्ष नजमुन निशा अनुपस्थित। संजीदा खातून, रिजवाना खातून, फरजाना प्रवीण, सोहानी प्रवीण उपस्थित। द्वितीय पक्ष से जावेद आलम व आसीफ़ आलम उपस्थित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। आपत्तिकर्ता/आवेदकगण अपने आवेदन के माध्यम से उल्लेखित किया है कि–	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	हमलोगों के पिता मो० शमसुदीन मियां ग्राम-कोढ़ास थाना-जिला-लातेहार के द्वारा हमलोग को अन्यत्र जगहों पर शादी-विवाह कर दिया गया है। विवाह के समय ही हमलोगों के पिता का खरीदगी जमीन में सभी भाई-बहनों का हिस्सा देने हेतु वादा किये थे। इनके पिता के मृत्यु हो जाने के पश्चात इनके एकलौता भाई जावेद अंसारी हमलोग का हिस्सा हड़पना चाह रहा है। इनके द्वारा गलत तरीके से बेचे गए जमीन का दाखिल खारीज करने से रोक लगाया जाय।
	पुनः कहना है कि वही जमीन भू-अर्जन तुबेद कोयला खान परियोजना में चला गया है। हमलोगों को आवेदित भूमि में हमारा हिस्सा चाहिए, इसलिये हमलोग दाखिल खारीज पर रोक लगाए हैं।
	द्वितीय पक्ष मो० आशिफ आलम का कहना है कि समसुदीन मियां जो विक्रेता के पिता हैं। 80 डी० जमीन एक बेटी फरजाना खातून को लिख दिया Dead No. 816 Date 17.06.2020 विक्रेता समसुदीन मियां पिता-स्व० सकुर मियां मौजा-कोढ़ास

विक्री की भूमि का विवरण

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा
कोढ़ास	134	808	0.40
	134	279	0.20
	119	183	0.10
	119	359	0.10
			0.80 रु०

CS खाता 83 का पूरा जमीन महबूब अंसारी पिता अख्तर अंसारी के यहाँ बंधक 70 हजार रूपये में रखा हुआ है। समसुदीन मियां का बहुत लोन है Union Bank में KCC Loan 1,42347 बकाया है।

Central Bank of India में 96,459=00, 10,32283=00 एवं 68,831=00 रूपये का ऋण समसुदीन मियां के नाम से है। इसका चुकता कैसे होगा, मेरा कहना है कि हम जमीन खरीदे हैं, हमारा दाखिल खारीज होना चाहिए, चूंकि मेरा खरीदगी जमीन पर विक्रेता का मकान अवस्थित है। इसलिए हमारा Mutation होना चाहिए। जावेद मियां का कहना है कि मेरा जमीन बंधक रखा हुआ है, थोड़ा सा जमीन बचा है, उसी में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। हम विक्री किये हैं जो थोड़ा जमीन है उसी से मेरा जीवन यापन चलता है, मैं कर्जा से डूब चुका हूँ।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

वाद सं0 –..... दिनांक –.....

केस का प्रकार :–.....

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

तरन्नुम बीवी पत्नी जावेद मियां का कहना है कि हमको घर से निकाल दिये है, मैं घर दुसरे के जमीन में बनाए है मेरा 5-6 बच्चा है सिर्फ 30 डी० जमीन बचा है सब बेटी के नाम से ससुर जी बेच दिये है। सब लोन मेरे माथे पर है, जिसका चुकता कैसे होगा।

आपतिकर्ता गण का कहना है कि मेरे पापा बहुत सिधिस थे उस समय मेरे बहन को जमीन दिए क्योंकि वो सेवा थी उनके कमाने खाने के लिए उनको जमीन लिखे थे। पिता की सम्पति में बेटी का हिस्सा होता है, हमलोग को जमीन चाहिए।

राजस्व उप निरीक्षक से विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार था या नहीं? जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक ---- को रखे।

अंचल अधिकारी
लातेहार।

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, प्रश्नगत भूमि का दायर दा० खारीज वाद संख्या 134/25-26 विक्रेता जावेद मियां क्रेता आसीफ आलम को केवाला सं० 1090 दिनांक 16.4.25 से 20 डी० बिक्री किये हैं।

(2) केवाला सं० 1091 दिनांक-16.4.25 से विक्रेता जावेद मियां ने अपनी पत्नी तरन्नुम बीबी को 30 डी० जमीन बेच दिये हैं, जिस पर नामांतरण के विरूद्ध आपति है।

इनके जाँच प्रतिवेदन के अनुसार भारत में मुस्लीम पर्सनल लॉ (Muslim Personal Low) शरीयत Application act. 1937 के तहत अगर विक्रेता अपने हिस्से से अधिक भूमि बिक्री किए हैं, जिसमें विक्रेता के बहन का सहमति नहीं है, जो गलत है। इसलिए आपतिकर्ता का आपति सही है।

सभी पक्षकारों के बयानों के सुनने, राजस्व कागजात का अवलोकन के पश्चात नामांतरण वाद संख्या 134 एवं 135/2025-26 को ... खारिज की जाती है।

अंचल अधिकारी
लातेहार।

Digitally signed by Nandkumar Ram
Date: 2025.11.10 17:26:42 +05:30
Location: 10.26.224.46

Scanned with OKEN Scanner